

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक ३/३९६७ /

जबलपुर, दिनांक ०२/०७/२०१८

श्री धर्मन्द्र कुमार तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (भूत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय, भोपाल के अंतर्गत महात्मा गांधी कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय जबलपुर से पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में अध्ययन करने एवं परीक्षा" में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है : -

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपरिथित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगत से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य त्रितीय रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
भर्त

पृष्ठांकन क्रमांक ३/३९६८ /

जबलपुर, दिनांक ०२/०७/२०१८
६८

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
3. ज्वार्ड रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समर्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री धर्मन्द्र कुमार तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (भूत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

31-7-18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/3969 /

जबलपुर, दिनांक ०२/०७/२०१८
०४

श्री पक्ज द्विवेदी सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "मदर टरेंसा विद्या महाविद्यालय, जबलपुर से एल.एल.बी (त्रि-वर्षीय पाद्यक्रम) एवं परीक्षा" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

Mr.

जबलपुर, दिनांक ०२/०७/२०१८
०४

पृष्ठांकन क्रमांक B/3970 /

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री पक्ज द्विवेदी सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Registrar (Administration)

High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ३/३९७१ /

जबलपुर, दिनांक ०२/०७/२०१८
ठंडे

कुमारी प्राची कुन्टे, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "नीलकण्ठ विधि महाविद्यालय बल्देवबाग, जबलपुर से एलएल.बी त्रि-वर्षीय (छ: सेमेस्टर) पाठ्यक्रम एवं परीक्षा में नियमित छात्रा के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है : -

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
क्रम

पृष्ठांकन क्रमांक ३/३९७२ /

जबलपुर, दिनांक ०२/०७/२०१८
०८

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. कुमारी प्राची कुन्टे, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू. एस. दुबे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
पर

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक ३/३९७३ /

जबलपुर, दिनांक ०२ /०७ / २०१८
०४

श्री अभिषेक कुमार गर्ग, सहायक ग्रेड-तीन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सतना द्वारा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/2270 जबलपुर, दिनांक 10.05.2018 के पालन
में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर सहायक लेखापाल के
पद पर प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 25.06.2018 पूर्वान्ह कार्यभार ग्रहण किया है।

३१.७.१८
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
Par

पृ.क्र ३/३९७५ /

जबलपुर, दिनांक ०२ /०७ / २०१८
०४

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना(म.प्र.),
 2. डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, सतना / जबलपुर,
 4. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. अनुभाग अधिकारी लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 9. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/अवकाश/वेतनपत्रक/जी.पी.एफ. पासबुक/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 10. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 11. श्री अभिषेक कुमार गर्ग, सहायक लेखापाल, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

३१.७.१८
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
Par

::--::